संख्या-20/2015/ 618 सी0डी0/46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013

प्रेषक,

राम मोहन सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 26 मार्च, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ के अधिष्ठान, प्रशिक्षण व्यय, कार्यालय प्रकीर्ण व्यय तथा पूंजीगत व्यय की मदों हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष हुई बचत के फलस्वरूप व्यावर्तन की अनुमति सहित वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1908सी0डी0/46-3-13-3(श0वि0नि0)/2013, दिनांक 24 जुलाई, 2014 एवं शासनादेश संख्या- 04सी0डी0/46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013, दिनांक 08 जनवरी, 2015 तथा शक्कर विशेष निधि समिति की दिनांक 11-03-2015 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में प्रेषित अपने पत्र संख्या- 808/श0वि0नि0/दिनांक 24 मार्च, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश संख्या-1908सी0डी0/46-3-13-3(श0वि0नि0)/2013, दिनांक 24 जुलाई, 2014 एवं शासनादेश संख्या-04सी0डी0/46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013, दिनांक 08 जनवरी, 2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ के अधिष्ठान, प्रशिक्षण व्यय, कार्यालय प्रकीर्ण व्यय तथा पूंजीगत व्यय की मदों हेतु कुल रू0 11,51,84,000 (रू0 ग्यारह करोड़ इक्यावन लाख चैरासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न मदों में हुई बचतों के सापेक्ष लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा व्यावर्तन की अनुमति सहित विभिन्न मदों में धनराशि स्वीकृति किये जाने की मांग पर शक्कर विशेष निधि समिति की बैठक दिनांक 11-03-2015 में लिये गये निर्णय के अनुसार लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ के पूंजीगत व्यय के मद में, **इस पत्र के संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार**, कुल रू0 1,31,03,000 (रू0 एक करोड़ इक्तीस लाख तीन हजार मात्र) को आहरित कर निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराने एवं व्यावर्तन की अनुमति सहित व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त वित्तीय स्वीकृति, उपरिलिखित शासनादेश संख्या-1908सी0डी0/46-3-13- 3(श0 वि0नि0)/2013, दिनांक 24 जुलाई, 2014 एवं शासनादेश संख्या- 04सी0डी0/46-3-15-3 (श0वि0नि0) /2013, दिनांक 08 जनवरी, 2015 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जा रही है।

4- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि रू0 1,31,03,000 (रू0 एक करोड़ इक्तीस लाख तीन हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2014-15 में, प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या-24 के लेखा शीर्षक- ''2401-फसल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कृषि कर्म-आयोजनेत्तर- 108-वाणिज्यिक फसलें-03- गन्ना- 0301 -उ0प्र0 गन्ना अनुसन्धान एवं विकास निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42-अन्य व्यय'' के नामे रू0 1,31,03,000 (रू0 एक करोड़ इक्तीस लाख तीन हजार मात्र) आहरित किया जायेगा।

सलंग्नकः-यथोपरि।

भवदीय

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

संख्या-20/2015/ 618 (1)सी0डी0/46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा हकदारी प्रथम/ लेखा परीक्षा प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- सँयोजक, उ0 प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
5- निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड फाईल ।

सलंग्नकः-यथोपरि।

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-20/2015/ 618 सी0डी0/46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013 दिनांक: 26 मार्च, 2015 का

संलग्नक

(स्वीकृत की जा रही धनराशि का मदवार विवरण)

क्र0 सं0	विवरण	धनराशि
	पूंजीगत व्यय मद	
1	प्रशिक्षण केन्द्र, मुजफ्फरनगर के भवन की मरम्मत/रंगाई-पुताई	22,69,000
2	प्रशिक्षण केन्द्र, मुजफ्फरनगर की बाउन्ड्रीवाल का बनवाया जाना	10,32,000
3	श्रोतृशाला के रिसेप्शन की साज-सज्जा	3,57,000
4	प्रशिक्षण केन्द्र, शाहजहॉपुर भवन मरम्मत/रंगाई-पुताई	62,27,800
5	प्रशिक्षण केन्द्र, वाराणसी की बाउन्ड्रीवाल की मरम्मत का कार्य	11,13,000
6	प्रशिक्षण केन्द्र, वाराणसी में विद्युत कार्य	9,85,000
7	प्रशिक्षण केन्द्र, वाराणसी में रोड निर्माण/मरम्मत कार्य	8,50,000
8	मुख्यालय-लखनऊ पर माइनर सिविल वर्क	2,69,000
	योग-	**1,31,02,800**
	अर्थात्	**1,31,03,000**

(रू0 एक करोड़ इक्तीस लाख तीन हजार मात्र)

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।